FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई **मुकाम अराई (अजमेर)**

- ओमप्रकाश वेष्णव पुत्र श्री रामगोपाल जाति साधु उम्र 47 साल निवासी ग्राम अराई तहसील अराई जिला अजमेर व अन्य –वादी

बनाम

- अरिहन्त जैन पुत्र श्री उम्मेदसिंह जाति जैन निवासी लेक्चरार कालोनी मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर व अन्य। –प्रतिवादीगण।

किस्म मुकदमा– धारा 111 व 128 भू0राजस्व अधिनियम 1956

नंबर 32/2025

ऑनलाइन नंबर 2025/ ....

वकील वादी:– योगेश शर्मा **वकील प्रतिवादीगण........**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
30.6.2025	यह वाद पत्र वादी की ओर से वकील वादी श्री योगेश शर्मा ने अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू0राजस्व अधि. 1956 के तहत पेश किया गया। वाद पत्र पर वकील वादी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादीगणों की तलबी जरिये सम्मन/रजि. डाक की जाकर पत्रावली दिनांक 25/07/25 ...... को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अंराई	
25/7/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। प्रतिवादीगण। लगायत 3 के तामील हुई। सम्मन नोटिस प्राप्त हुए जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से वकील श्री [illegible] ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली है। [illegible] से बाहर पधारे है। पत्रावली दिनांक 26/9/25 को पेश हो।	
26/9/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उप. ....जवाब प्रतिवादी हेतु पत्रावली [illegible] 17/10/25 [illegible] उपखण्ड अधिकारी अरांई	

17/10/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उप. ।

जवाब प्रतिवादी हेतु

पत्रावली दिनांक 31/10/25 को पेश हो

[signature]
उपखण्ड अधिकारी
अरांई

31/10/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाब पेश करने के लिए मना किया। प्रतिवादी संख्या 1 का जवाब बंद कर एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। पत्रावली वास्ते बहस व आदेश दिनांक 14/11/25 को पेश हो।

[signature]

14/11/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप०। वकील पक्षों की बहस सुनी गई। वकील वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। [illegible] पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली पूर्ण कार्यवाही होकर [illegible] में जमा हो।

[signature]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अरांई (अजमेर)

विधिक राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 32/2025

1. ओमप्रकाश वैष्णव पुत्र श्री रामगोपाल जाति साधु निवासी ग्राम अराई तहसील अराई जिला अजमेर राज0
2. प्रेमनारायण वैष्णव पुत्र रामगोपाल जाति साधु निवासी ग्राम अराई तहसील अराई जिला अजमेर

प्रार्थी

बनाम

1. अरिहन्त जैन पुत्र श्री उम्मेद सिंह, जाति जैन, निवासी लेक्चरार कॉलोनी, मदनगंज किशनगढ़, जिला अजमेर, राजस्थान

2. सार्वजनिक निर्माण विभाग, अजमेर जिला अजमेर, राजस्थान

3. श्रीमान तहसीलदार महोदय, अरांई जिला अजमेर राजस्थान

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 के तहत

निर्णय दिनांक 14/11/2025

वकील वादी श्री योगेश शर्मा एडवोकेट

प्रार्थीगण की और से एक प्रार्थना पत्र वकील श्री योगेश शर्मा एडवोकेट .द्वारा अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया गया । वकील वादी ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि खसरा संख्या 3657/2039 क्षेत्रफल 0.0809 हैक्टेयर (किस्म बंजर–1), कुल खसरा–1 का कुल क्षेत्रफल 0.0809 हैक्टेयर वाके ग्राम अरांई, पटवार हल्का अरांई, भू.अ. नि.क्षेत्र अरांई, तहसील अरांई, जिला अजमेर राजस्थान में स्थित है, जिसमें प्रार्थी संख्या 1 का 1/2 एवं प्रार्थीया संख्या 2 का 1/2 हिस्सा है।. यह कि प्रार्थीगण अपनी उपरोक्त वर्णित खातेदारी कृषि भूमि पर बदस्तूर खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहें है, तथा प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी का अमल दरामद है तथा राजस्व नक्शा ट्रेस में भी प्रार्थीगण की भूमि का इन्द्राज चला आ रहा है।
प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि जो निम्नानुसार स्थित है:–
(अ) कृषि भूमि खसरा संख्या 3657/2039 क्षेत्रफल 0.0809 हैक्टेयर :–
यह कि प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 3657/2039 के दक्षिण दिशा में खसरा संख्या 2047 क्षेत्रफल 0.8333 हैक्टेयर (किस्म गै. मु.सडक) की भूमि है जो अप्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज है।
तथा अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम अरांई स्थित खसरा संख्या 3656/2037 क्षेत्रफल 0.0809 हैक्टेयर की भूमि का खातेदार काबिज काश्तकार है जो प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 3657/2039 के पूर्व दिशा में स्थित है।तथा प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 3657/2039 के पश्चिम व उत्तर दिशा में खसरा संख्या 3659/2039 क्षेत्रफल 0.3802 हैक्टेयर भूमि है। जो राजस्थान सरकार के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य उपरोक्त भूमियों का सीमा विवाद चला आ रहा है तथा अप्रार्थी संख्या 1 आये दिन प्रार्थी की भूमि की सीमाओं में हस्तक्षेप करते रहते है, जिससे प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य लडाई झगडा होता रहता है। अप्रार्थी संख्या 1 आये दिन प्रार्थीगण की भूमि की सीमाओं से छेडछाड करते रहते है तथा उसकी सीमाओं के संबंध में विवाद पैदा करते है। उपरोक्त खसरान् के मध्य सीमा विवाद होने की वजह से अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आये दिन प्रार्थीगण के साथ उसके खातेदारी भूमि के कृषि भूमि पर विवाद उत्पन्न करने की वजह से प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 3 के कार्यालय में सीमाज्ञान करवाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर पटवारी महोदय, अरांई द्वारा दिनांक 26.05. 2024 को सीमाज्ञान कर मौका पर्चा बनाया गया। जिसके पश्चात् भी उक्त अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की भूमि की सीमाओं को लेकर दिनांक 17.06.2025 को विवाद किया गया।वाद कारण दिनांक 17.06.2025 को प्रार्थीगण के साथ अप्रार्थीगण द्वारा सीमाओं के विवाद को लेकर प्रार्थीगण के साथ गाली गलौच करने से

WP

उत्पन्न हुआ है तथा प्रार्थीगण के कृषि कार्य में अप्रार्थीगण द्वारा बाधा कारित करने तथा प्रार्थीगण के साथ सीमाओं को लेकर वाद विवाद करते रहने से वाद कारण सतत जारी है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य स्पष्ट रेवेन्यू नक्शा ट्रेस राजस्व रिकार्ड में दर्ज है इसलिये प्रार्थीगण को उपरोक्त राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार सीमाओं के विवाद के निस्तारण हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमियों के राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार सीमाओं का भौतिक सत्यापन करवाकर पत्थरगढी करवायी जानी न्यायहित में आवश्यक है ताकि सीमाओं का विवाद निस्तारित हो सके अतः पत्थरगढी का निवेदन किया है ।

प्रकरण दिनांक 30.6.2025 को दर्ज रजिस्टर किया गया । तथा नोटिस तामिली हेतु भिजवाये गये। तामिली रिपोर्ट प्राप्त हुई । बावजूद तामिली अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादीगण का जवाब बन्द किया गया । दिनांक 14.11.2025 को बहस सुनी गई । तहसीलदार अराई की जाच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी मौके पर काबिज है ।

हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। :पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व मनन किया गया । वकील वादी की बहस सुनी गई । प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम अराई तह0 अराई की कृषि भूमि खसरा संख्या 3657/2039 क्षेत्रफल 0.0809 हैक्टेयर (किस्म बंजर–1), कुल खसरा–1 का कुल क्षेत्रफल 0.0809 हैक्टेयर का राजस्व रिकार्ड अनुसार मौके पर नाप चौक कर पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार अराई को कमिश्नर फीस 1000/–रु पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर फीस 1000/– रु जमा करवाने पर वे मौके पर उपस्थित होकर उक्त वाद ग्रस्त भूमि का पक्षकारान की उपस्थिति में नाप चौक कर पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 15/11/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
अंराई (अजमेर)